रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20102023-249571
CG-DL-E-20102023-249571

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 608] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 19, 2023/आश्विन 27, 1945
No. 608] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 19, 2023/ASVINA 27, 1945

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 अक्तूबर, 2023

आय-कर

सा.का.नि. 786(अ).—केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10कक की उपधारा (8) और धारा 295 के साथ पठित धारा 10क की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (छब्बीसवाँ संशोधन) नियम, 2023 है।

(2) ये 29 जुलाई, 2021 से प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे।

2. आय-कर नियम, 1962 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा जाएगा) में, नियम 16गग के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"**16घ. धारा 10कक के अधीन कटौती का दावा किए जाने के लिए रिपोर्ट का प्ररूप—**धारा 10क की उपधारा (5) के साथ पठित धारा 10कक की उपधारा (8) के अधीन निर्धारिती द्वारा प्रस्तुत की जाने हेतु अपेक्षित अकाउंटेंट की रिपोर्ट प्ररूप

सं0 56च में होगी ।"।

3. मूल नियमों के नियम 130 में,--

(क) उपनियम (1) में, "16घ" अंक और अक्षर का लोप किया जाएगा ;

(ख) उपनियम (2) में, "56च" अंक और अक्षर का लोप किया जाएगा ।

4. मूल नियम में, परिशिष्ट 2 में, प्ररूप 56ङ [जैसा यह आय-कर (21वां संशोधन) नियम, 2021 के लोप से तुरंत पूर्व था] के पश्चात् निम्नलिखित प्ररूप अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"प्ररूप सं0 56च

[नियम 16घ देखिए]

आय-कर अधिनियम की धारा 10कक के अधीन रिपोर्ट

1. मैंने/हमने*...(निर्धारिती का नाम और पता, स्थायी खाता संख्यांक सहित) के उनकी....................... नामक इकाई के, जो 31 मार्च.............को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान, वस्तुओं या चीजों या सेवा उपबंध, निर्यात में लगी हुई थी, कारबार से संबंधित लेखाओं और अभिलेखों की जांच की है ।

2. मैं/हम*यह प्रमाणित करता हूं/करते हैं कि वह इकाई विशेष आर्थिक जोन*..................................के अधीन रजिस्ट्रीकृत................................ (इकाई की सही अवस्थिति) में अवस्थित है और यह कि निर्धारिती द्वारा आय-कर नियम, 1961 की धारा 10कक के अधीन निर्धारण वर्ष........की बाबत दावा की गई कटौती..........रुपए की है, जिसका अवधारण इस प्ररूप के उपाबंध क में दिए गए ब्यौरों के आधार पर किया गया है ।

3. मैं/हम* यह प्रमाणित करता हूं/करते हैं कि मैंने/हमने* इस धारा के अधीन अनुज्ञेय कटौती की संगणना करने के लिए आवश्यक सभी सुसंगत जानकारी एकत्रित की है और निर्धारिती के लेखाओं और अभिलेखों के संदर्भ में उन्हें सत्यापित किया है ।

4. मेरी/हमारी* राय में तथा मेरी/हमारी* सर्वोत्तम जानकारी तथा मुझे/हमें* दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार उपाबंध क में दी गई विशिष्टियां सत्य और सही हैं ।

तारीख.................. हस्ताक्षर

@अकाउंटेंट

टिप्पण :

1. *जो लागू न हो, उसे काट दें ।

2. @ यह रिपोर्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 (1949 का 38) के अर्थांतर्गत चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा दी जाएगी ;

3. जहां इस रिपोर्ट में कथित किसी विषय में उत्तर, नहीं में, दिया जाता है या किसी अर्हता के साथ दिया जाता है वहां रिपोर्ट में उसके कारण दिए जाएंगे ।

उपाबंध क

[प्ररूप 56च का पैरा 2 देखिए]

आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10कक के अधीन कटौती के लिए निर्यातक द्वारा दिए गए दावे से संबंधित ब्यौरा

1. निर्धारिती का नाम

2. निर्धारण वर्ष

3. इकाई का नाम

4. इकाई की अवस्थिति और पता

5. इकाई के कारबार की प्रकृति

6. एस.ई.जैड. के प्रारंभिक रजिस्ट्रीकरण की तारीख

7. निर्माण या उत्पादन या सेवाओं के उपबंध के प्रारंभ की तारीख

8. क्रमवर्ती वर्षों की संख्या, जिनके लिए कटौती का दावा किया गया है

9. कारबार का कुल आवर्त

10. इकाई का कुल आवर्त

11. कारबार द्वारा व्युत्पन्न कुल लाभ

12. इकाई द्वारा व्युत्पन्न कुल लाभ

13. कुल निर्यात आवर्त

14. इकाई द्वारा—

(क) वस्तुओं या चीजों ; अथवा

(ख) सेवा उपबंध

15. इकाई के

(i) वस्तुओं या चीजों ; अथवा

(ii) सेवा उपबंध

16. कृपया विनिर्दिष्ट करें

(i) क्या इकाई द्वारा किए गए निर्यातों से संबंधित संपूर्ण प्रतिफल, संपरिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में, पूर्ववर्ष की समाप्ति से छह मास की अवधि के भीतर भारत में लाया गया था	*हां/नहीं
(ii) यदि नहीं, तो क्या यह पूर्ववर्ष उस अतिरिक्त अवधि के भीतर भारत में लाया गया था, जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात की गई हो	*हां/नहीं

(iii) जहां ऐसी रकम किसी अन्य पूर्ववर्ष से संबंधित है, यदि ऐसी रकम संपरिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में सुसंगत पूर्ववर्ष की समाप्ति से छह मास की अवधि के परे और सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से भारत में लाई जाती है तो उस रकम तथा सुसंगत पूर्ववर्ष की विनिर्दिष्ट करें। उस प्राधिकारी के नाम तथा उस अवधि का, जिस तक अनुमोदन दिया गया था, भी उल्लेख करें।

(iv) विक्रय आगमों की, यदि कोई हों, रकम जो निर्धारिती द्वारा भारत के बाहर के किसी बैंक में रखे गए पृथक् खाते में जमा किए गए हों और भारतीय रिजर्व बैंक का उसके लिए अनुज्ञा देने संबंधी निर्देश संख्यांक

17. धारा 10कक के अधीन कटौती की वह रकम, जिसके लिए निर्धारिती हकदार

है, परिकलन पत्र सहित

18. उपरोक्त के संबंध में अर्हताएं, यदि कोई हो"।

[अधिसूचना सं. 91/ 2023/ फा.सं. 370142/40/2023-टीपीएल]

अमृत प्रीतम चेतिया, अवर सचिव

स्पष्टीकारक ज्ञापन : यह प्रमाणित किया जाता है कि आय-कर (छब्बीसवाँ संशोधन) नियम, 2023 के भूतलक्षी रूप से प्रवृत्त होने से किसी व्यक्ति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना सं0 का0आ0 969(अ), तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना संख्यांक सा0का0नि0 740(अ), तारीख 16 अक्टूबर, 2023 द्वारा अंतिम बार संशोधित किए गए ।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th October, 2023

INCOME-TAX

G.S.R. 786(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (5) of section 10A read with sub-section (8) of section 10AA and section 295 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules,1962, namely:─

1. **Short title and commencement.—**(1) These rules may be called the Income-tax (Twenty Sixth Amendment) Rules, 2023.

(2) They shall be deemed to have come into force from the 29th day of July, 2021.

2. In the Income-tax Rules, 1962 (hereinafter referred to as principal rules), after rule 16CC, the following rule shall be inserted, namely:—

"**16D. Form of report for claiming deduction under section 10AA**.—The report of an accountant which is required to be furnished by the assessee, under sub-section (8) of section 10AA read with sub-section (5) of section 10A shall be in Form No. 56F.".

3. In the principal rules, in rule 130,–

(a) in sub-rule (1), the figures and letter"16D", shall be omitted;

(b) in sub-rule (2), the figures and letter"56F", shall be omitted.

4. In the principal rules, in Appendix II, after Form No.56E [as it stood immediately before its omission by the Income-tax (21st Amendment) Rules, 2021], the following Form shall be inserted, namely:–

"FORM NO. 56F

[See rule 16D]

Report under section 10AA of the Income -tax Act, 1961

1. I/We * have examined the accounts and records of ______________________________________ (name and address of the assessee with permanent account number) relating to the business of their Unit named __________ engaged in the export of articles or things or provision of services during the year ended on the 31st March__________.

2. * I/We certify that the Unit is located at ____(exact location of the Unit) registered under ______________________ special economic zone * and that the deduction to be claimed by the assessee under section 10AA of the Income-tax Act, 1961 in respect of the assessment year __________________ is Rs.____________________________, which has been determined on the basis of the details in Annexure A to this Form.

3. I/We * certify that I/We * have collected all the relevant information necessary for computing the deduction allowable under this section and have verified the same with reference to the accounts and records of the assessee.

4. In my/our * opinion and to the best of my/our * knowledge and according to the explanations given to me/us*, the particulars given in the Annexure A are true and correct.

Date __________________________ Signed

† Accountant

Notes:

1. *Delete whichever is not applicable

2. † This report is to be given by a Chartered Accountant within the meaning of the Chartered Accountant Act, 1949 (38 of 1949);

3. Where any of the matter stated in this report is answered in the negative or with a qualification, the report shall state the reasons therefor.

ANNEXURE A

[See paragraph 2 of Form 56F]

Details relating to the claim by the exporter for deduction under section 10AA of the Income -tax Act, 1961

1. Name of the assessee

2. Assessment year

3. Name of the Unit

4. Location and address of the Unit

5. Nature of business of the Unit

6. Date of initial registration in SEZ

7. Date of commencement of manufacture or production or provision of services

8. Number of the consecutive year for which the deduction is claimed

9. Total turnover of the business

10. Total turnover of the Unit

11. Total profits derived by the business

12. Total profits derived by the Unit

13. Total export turnover

14. Export proceeds received in convertible foreign exchange of the Unit in respect of

(a) articles or things, or

(b) provision of services

15. Sale proceeds of the Unit in respect of

(a) articles or things, or

(b) provision of services

16. Please specify

(i)	whether the full consideration in convertible foreign exchange for exports made by the Unit was brought into India within a period of six months from the end of the previous year	*Yes/No
(ii)	If not, whether it was brought into India within such further period in the previous year as allowed by the competent authority	*Yes/No
(iii)	Specify the amount and the relevant previous year in case such amount is brought into India in convertible foreign exchange beyond the period of six months from the end of relevant previous year and with the approval of the Competent authority, where such amount relates to any other previous year. Also state the name of the authority and the period up to which the approval was accorded	
(iv)	Amount of sale proceeds, if any, that are credited to a separate account maintained by the assessee with any bank outside India and the reference number of Reserve Bank of India according to permission of the same	

17. Amount of deduction under section 10AA to which the assessee is entitled with the working sheet

18. Qualifications, if any, on the above”.

[Notification No. 91 /2023/F. No. 370142/40/2023-TPL]

AMRIT PRITOM CHETIA, Under Secy.

Explanatory Memorandum : It is certified that no person will be adversely affected by giving retrospective effect to the Income-tax (Twenty Sixth Amendment) Rules, 2023

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Subsection (ii) *vide* notification number S.O. 969 (E), dated the 26th March, 1962 and last amended *vide* notification number G.S.R. 740(E), dated 16th October, 2023.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA